31

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन

इकतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944(शक)

इकतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन

15.12.22 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
15.12.22 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022/ अग्रहायण, 1944(शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति (2021-2022) की संरचना 4

समिति (2022-2023) की संरचना 5

प्राक्कथन 7

प्रतिवेदन

भाग एक

प्रस्तावना 8

अध्याय	I	नीति और संरचना	9
अध्याय	II	कल्याणकारी उपायों हेतु डिलीवरी तंत्र	14
अध्याय	III	रोजगार/पुनर्वास	17
अध्याय	IV	चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं	21
अध्याय	V	पेंशन	24
अध्याय	VI	जागरुकता सृजन और शिकायत निवारण	25
अध्याय	VII	शहीदों और उनके परिवारों की पहचान	26

भाग दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें 27

अनुबंध

युद्ध हताहतों के निकट संबंधियों की हकदारी 45

परिशिष्ट

रक्षा संम्बंधी स्थाई समिति की दिनांक 27.05.2022 और 14.11.2022 को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश 49

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना</u>

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	कुंवर दानिश अली
3.	श्री नितेश गंगा देब
4.	श्री राहुल गांधी
5.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
6.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
7.	चौधरी महबूब अली कैसर
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.	श्री श्रीधर कोटागिरी
11.	डॉ. राजश्री मल्लिक
12.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
13.	डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
14.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
15.	श्री जुगल किशोर शर्मा
16.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
17.	श्री प्रताप सिम्हा
18.	श्री बृजेन्द्र सिंह
19.	श्री महाबली सिंह
20.	श्री दुर्गा दास उइके
21.	रिक्त★
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री एन.आर.इलांगो
24.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री शरद पवार
27.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
28.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
29.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
30.	श्री के. सी. वेणुगोपाल
31.	रिक्त★★

★ लोकसभा में 1 स्थान रिक्त।

★★ श्री वी. लक्ष्मीकांत राव 21/06/2022 को सेवानिवृत्त होने के कारण राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे।

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना</u>

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम.कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.★	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@ 08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

★ **16.11.2022** से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्रीमती रेखा सिन्हा	-	कार्यकारी अधिकारी (तिथि 12.8.2022 तक)

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/ उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय संबंधी यह 31वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान जांच हेतु 'सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवओं/ उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय का चयन किया गया था। समिति ने 27 मई, 2022 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने 14 नबम्बर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय की जांच के संबंध में समिति को अपेक्षित सामग्री और जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;	**जुएल ओराम**
13 दिसम्बर, 2022	**सभापति**
22 अग्रहायण,1944(शक)	**रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

प्रतिवेदन

भाग - एक

प्रस्तावना

रक्षा मंत्रालय के अनुसार युद्ध विधवाएं या 'वीर नारियां' वे महिलाएं हैं जिन्होंने युद्ध/सैन्य कार्रवाई में अपने पतियों को खोया है। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कम आयु में अपने पतियों को द्वितीय विश्व युद्ध, भारत-पाक युद्ध, भारत-चीन युद्ध और कारगिल/सैन्य कार्रवाइयों में खोया है। चूंकि इनमें से अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और अपने अधिकारों एवं पात्रताओं से अनभिज्ञ हैं इसलिए इस विभाग का विजन है कि उन्हें इससे अवगत कराया जाए और न केवल शहीद सैनिक के परिवारों अपितु सभी भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों को भी आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। तथापि, इस प्रतिवेदन का क्षेत्राधिकार शहीद सैनिकों के परिवार के लिए कल्याणकारी उपायों के मूल्यांकन और उन उपबंधों की जांच करने तक ही सीमित है जो उन लोगों के आश्रितों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीद सैनिक के परिवार को इस प्रतिवेदन में वीर-नारी/नेक्स्ट ऑफ किन्स (एनओके) के रूप में बताया गया है।

2. समिति को यह बताया गया कि सेना के लिए पेंशन विनियमों, भाग-I (2008), के विनियम 107 के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए, परिवार में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) सेवा निवृत्ति से पहले या बाद में विधिक रूप से विवाहित पति/पत्नी।
- (ii) न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति, इस तरह के अलगाव को परगमन के आधार पर स्वीकृति नहीं दी गयी हो और जीवित व्यक्ति को परगमन का दोषी नहीं पाया गया हो ।
- (iii) अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्री वास्तविक और वैध मरणोपरांत/विधवा/तलाकशुदा पुत्री सहित।
- (iv) पिता
- (v) माता
- (vi) अविवाहित भाई
- (vii) अविवाहित बहन

उपर्युक्त प्रावधान सशस्त्र बलों के तीन स्कंधों अर्थात् भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए लागू हैं।

अध्याय - I

नीति और संरचना

समिति को बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) के रूप में एक सुगठित संस्थागत ढांचा मौजूद है, और डीईएसडब्ल्यू और तीन सेवा मुख्यालयों के विशेषीकृत संबद्ध कार्यालय मौजूद हैं। विभाग की स्थापना 2007 में हुई थी और इसमें लगभग 15000 वीर-नारी है। सभी आवश्यक कल्याणकारी सेवाओं और सहायता को इन समपत संस्थानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है जो एक साथ आवश्यक योजनाओं और हस्तक्षेपों की विस्तृत श्रृंखला को कार्यान्वित और प्रशासित करते हैं।

1.2. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है जिनका कार्यान्वयन इसके तीन संबद्ध कार्यालयों नामतः केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), पुनर्वास महानिदेशालय (डीजाआर) और केन्द्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों तथा कल्याण निधियों के प्रबंधन के लिए भी नीतियां और दिशानिर्देश बनाने के लिए उत्तरदायी है। पुनर्वास महानिदेशालय का कार्यालय सेवानिवृत्ति के पूर्व और उसके पश्चात प्रशिक्षण पुनःरोजगार और स्वरोजगार इत्यादि के संबंध में विभिन्न नीतियों/स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। ईसीएचएस भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य देखरेख और चिकित्सा आवश्यकताओं की देखरेख करता है।

1.3 उपर्युक्त के अलावा तीनों सेना मुख्यालयों के अपने स्वयं के विशेष निदेशालय अर्थात भारतीय सेना का सेना वेटरन निदेशालय (डीआईएवी), वायु सेना वेटरन निदेशालय और भारतीय नौसेना का भूतपूर्व सैनिक कार्य निदेशालय (डीईएसए) हैं जो अपनी स्कीमों/ कार्यक्रमों के जरिए सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके आश्रितों का अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं।

1.4. समिति को मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया था कि वीर-नारियों/एनओके की बाद की जरूरतों को विशेष रूप से देख भाल करने के लिए एक समर्पित विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में वीर-नारियों की कुल संख्या के संबंध में समिति को सूचित किया गया था कि देश में युद्ध विधवाओं की कुल संख्या 15021 है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था । एनओके के बारे में भी एक आंकड़ा रखा जाएगा।

1.5. समिति को बताया गया कि जिन परिस्थितियों में सैनिक की मृत्यु हुई है, वे उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त लाभों में अंतर निर्धारित करते हैं। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने एक विस्तृत नोट इस प्रकार प्रस्तुत किया था:

"सशस्त्र बल कार्मिकों के परिवारों को पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए सशस्त्र बल कार्मिकों के दिवंगत होने की परिस्थितियों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया हैः

श्रेणी क

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्धारित प्राकृतिक कारणों से मृत्यु/दिव्यांगता न तो सैन्य सेवा पर आरोप्य है और न ही उसका गंभीर कारक । चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा यथा आकलित स्वाभाविक रोगों की प्रकृति की बीमारियां, हृदय और गुर्दा रोगों जैसी जटिल बीमारियों, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, ड्यूटी के समय से इतर हुई दुर्घटना इसके उदाहरण होंगे।

व्याख्याः

श्रेणी क के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक कारणों से होने वाली मृत्यु के मामलों में परिवार सामान्य कुटुम्ब पेंशन (बढ़ी हुई दर पर संगणित परिलाभों का 50% और सामान्य दर पर संगणित परिलाभों का 30%) के हकदार होंगे।

श्रेणी ख

ऐसे कारणों से मृत्यु/दिव्यांगता जिन्हें सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा सैन्य सेवा पर आरोप्य था उसका गंभीर कारक माना गया हो। विषम मौसमी दशाओं या व्यवसाय संबंधी जोखिमों की वजह से प्रतिकूल कार्य वातावरण में लगातार बने रहने के कारण उत्पन्न रोग इसके उदाहरण हैं।

श्रेणी ग

कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या दिव्यांगता जैसे कि:

(i) ड्यूटी के समय सरकारी वाहनों या सार्वजनिक/निजी परिवहन से यात्रा करते समय दुर्घटनाएं।
(ii) हवाई यात्राओं के दौरान दुर्घटनाएं।
(iii) ड्यूटी के समय समुद्र में दुर्घटना।
(iv) ड्यूटी के समय बिजली का करेंट लगना इत्यादि।
(v) आयोजित खेल कार्यक्रमों/साहसिक कार्यकलापों /अभियानों या प्रशिक्षण में प्रतिभाग के दौरान दुर्घटनाएं।

व्याख्याः

श्रेणी ख और श्रेणी ग के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों के दिवंगत होने के मामले में दिवंगत कार्मिक के परिवार के पात्र सदस्य को विशेष कुटुंब पेंशन (संगणित परिलब्धियों के 60% की दर से) दी जाएगी।

श्रेणी घ

आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों इत्यादि द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई/आक्रमण के कारण दिवंगत होने या दिव्यांग होने पर चाहे संक्रियात्मक ड्यूटी के अलावा अन्य ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर न हों। शासनाधिकार की सहायता में तैनात और प्राकृतिक आपदा से निपटते समय दिवंगत/दिव्यांग होने के अलावा सार्वजनिक स्थानों या परिवहन में बम विस्फोट, पब्लिक में अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। किसी संक्रियात्मक क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान अपने सैन्यदलों द्वारा गैर इरादतन हत्या। बिजली का करंट लगना/ वन्य पशुओं द्वारा आक्रमण और सर्पदंश/बगावत/युद्ध का सामना करने के दौरान डूबना। दुर्घटना से मृत्यु/बाढ़, हिमस्खलन, भू-स्खलन, चक्रवात, फायर और लाइटनिंग या संक्रियात्मक ड्यूटी/ दुश्मन की फौजों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अथवा नियंत्रण रेखा पर तैनाती हेतु जाने के लिए संक्रियात्मक क्षेत्र में सैन्ययुद्ध स्थितियों में मूवमेंट के समय नदी में डूबना।

श्रेणी ड़

निम्नलिखित के कारण होने वाली मृत्यु/दिव्यांगताः-

(i) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु कार्रवाई।

(ii) विदेश में शांति बहाली मिशन में तैनाती के दौरान सैन्य कार्रवाई।

(iii) सीमा पर मुठभेड़।

(iv) दुश्मनों की माइन्स सहित माइन्स बिछाने या हटाने तथा माइन स्वीपिंग आपरेशंस के दौरान।

(v) संक्रियात्मक रूप से उन्मुख माइनफील्ड बिछाते समय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अथवा नियंत्रण रेखा के निकट संक्रियात्मक क्षेत्रों में दुश्मन या अपने बलों द्वारा बिछाए गए माइन फील्ड को हटाने या इंतजाम करते समय माइन्स में अचानक विस्फोट होने पर।

(vi) निम्नलिखित पर आरोप्य/ के कारक मामलों सहित युद्ध जैसी स्थितियां -

  (1) संक्रियात्मक क्षेत्र को जाते समय उग्रवादी कार्य, माइन्स में विस्फोट आदि

  (2) युद्ध संबंधी प्रशिक्षण अभ्यास या लाइव अम्यूनिशन के साथ प्रदर्शन

  (3) संक्रियात्मक ड्यूटी के दौरान उग्रवादियों द्वारा अपहरण

(vii) संक्रियात्मक ड्यूटी पर रहने के दौरान उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों इत्यादि द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई/आक्रमण

(viii) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई, आंदोलन, दंगों, प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे विद्रोह को शांत करने में शासनाधिकार की

सहायता में तैनाती के दौरान मृत्यु/दिव्यांगता को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

(ix) सरकार द्वारा समय पर विशेष रूप से अधिसूचित कार्रवाई।

व्याख्याः

श्रेणी घ और श्रेणी ड. के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों की मृत्यु के मामले में संगणित परिलब्धियों के समान उदार कुटुंब पेंशन दिवंगत कार्मिकों के परिवार के पात्र सदस्य को दी जाएगी।

भुगतान की गई केंद्रीय अनुग्रह राशि का ब्यौरा।

दिवंगत होने पर अनुग्रह राशि की एकमुश्त प्रतिपूर्तिः_प्रतिपूर्ति निम्नानुसार नवीनतम दरों पर दी जाती हैः-

क्र.सं.	परिस्थितियाँ	दरें (रु. में)
(i)	कर्तव्यों का निर्वहन करने के समय दुर्घटना के कारण दिवंगत।	25 लाख
(ii)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों इत्यादि द्वारा हिंसक कार्यों के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दिवंगत	25 लाख
(iii)	सीमा पर झड़प और उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों, सी पाइरेट्स के विरुद्ध कार्रवाई में दिवंगत।	35 लाख
(iv)	विशेष उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों, दुर्गम सीमावर्ती चौकियों, प्राकृतिक आपदा के कारण विषम जलवायु दशाओं में ड्यूटी पर दिवंगत।	35 लाख
(v)	युद्ध में दुश्मन की कार्रवाईया ऐसी लड़ाई जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो के दौरान दिवंगत होने या विदेश में वार-टोर्न जोन से इंडियन नेशनल्स के निष्क्रमण के दौरान दिवंगत होने पर।	45 लाख

1.6 समिति को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी बताया गया :

"इसके अलावा कुछ एनजीओज भी हैं, जैसे आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। वह भी करीब 30 हजार रुपये देता है। एजी ब्रांच में एक फंड गठित किया गया है, जो तीनों सर्विसिज के लिए है। यह सशस्त्र बलों के युद्ध हताहत कल्याण कोष (बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड) है। यह नॉन-पब्लिक फंड है। इसमें विभिन्न इंडीविजुअल्स और कंपनीज द्वारा कॉन्ट्रिब्यूशंस के माध्यम से राशि जमा की जाती है। पिछले साल ही माननीय रक्षा मंत्री महोदय, श्री राजनाथ सिंह जी ने इसमें बढ़ोत्तरी करके इसे आठ लाख का कर दिया है। बाकी छोटे-छोटे डेथ कम लिंक्ड इंश्योरेस स्कीम्ज हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है, जिसका सैलरी अकाउंट्स नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ एमओयू, सभी सर्विसिज होती हैं, उसमें भी करीब 50 लाख का

मिलता है। यह सारा मिलाकर ऑफिसर्स को 1.83 करोड़ रुपये और जेसीओज/ओआरस को 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान होता है।"

1.7 आगे रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी बताया गया:

"एक लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट मिलती है, जो डॉटर्स और विडोज रीमैरिज के लिए होती है और ऑरफन सन के लिए भी होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट भी करीब-करीब 20 हजार रुपये तक होती है, जो हवलदार रैंक तक के लिए होती है। विधवाओं के लिए रेलवे टिकटों पर 75 प्रतिशत तक की छूट और चक्र विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए पूरक(कॉम्प्लिमेंटरी) कार्ड पास की भी सुविधा है। हालांकि, आजकल मोबाइल का जमाना है, लेकिन फिर भी चक्र विजेताओं और विधवाओं को 50 फीसदी की छूट टेलिफोन कनसेशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा, ईएसएम (भूतपूर्व सैनिको) के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता,मतलब कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी हो तो उसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। जो पहले एक हज़ार रुपये था, हाल ही में उसको तीन हज़ार रुपये किए हैं। अंत में यह जिक्र करना चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप 5500 तमाम सीएपीएफ को भी है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी है और हमारा ज्यादा कोटा है, हमारा आर्म्ड फोर्सेज़ का। उसमें पिछले तीन साल में 43 वॉर विडोज़ को करीब-करीब 12-13 लाख रुपये मिले हैं।इसका 2500 रुपेय प्रति माह लड़कों के लिए है और 3000 रुपये प्रति महीने लड़कियों के लिए है। सर, लास्ट स्लाइड में आर्म्ड फोर्सेज़ बैटल कैज़ुएलिटीज़ वैलफेयर फंड का जिक्र करना चाह रहे हैं। यह अराउंड 1098 बैटल कुज़ुएलिटीज़ और उनके किन को करीब-करीब 32 करोड़ रुपये डिस्ट्रिब्यूट किया गया है। यह उसका ईयरवाइज़ ब्रेक-अप है।''

अध्याय – II

कल्याणकारी उपायों हेतु डिलीवरी तंत्र

समिति को बताया गया कि रक्षा मंत्रालय, डीईएसडब्ल्यू, विभिन्न सेना मुख्यालयों और उनके संबंधित कार्यालयों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए लाभार्थियों की संख्या और प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत दिए गए अनुदान की धनराशि के डेटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है । वांछित लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर मौजूदा योजनाओं में कई संशोधन किए जाते हैं । आवश्यकता के आधार पर नई योजनाएं भी जोड़ी जाती हैं । लाभों की मात्रा को मौजूदा प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया गया है । युद्ध हताहतों एनओके (निकटतम रिश्तेदारों)/आश्रितों और वीर नारियों को दी जा रही वितीय सहायता और अन्य रियायतों की एक विस्तृत सूची **अनुबंध** में संलग्न है।

2.2. आगे समिति को यह बताया गया कि रक्षा मंत्रालय, डीईएसडब्ल्यू, विभिन्न सेना मुख्यालयों और उनके संबंधित कार्यालयों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए लाभार्थियों की संख्या और प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत दिए गए अनुदान की धनराशि के डेटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है । वांछित प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर मौजूदा योजनाओं में कई संशोधन किए जाते हैं । आवश्यकता के आधार पर नई योजनाएं भी जोड़ी जाती हैं । लाभों की मात्रा को मौजूदा प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

राज्य/जिला स्तर पर कल्याणकारी उपाय करना:

2.3 रक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री,संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं । यह एक उच्च स्तरीय बोर्ड है जिसको विशेषतः ईएसएम/आश्रितों के मुद्दों पर विचार करने के लिए बनाया है । ईएसएम/आश्रितों के हितों का ध्यान करने के लिए 33 राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और 403 जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) मौजूद है । जेडएसबी के मौजूदा संयोजन के अनुसार प्रत्येक जेडएसबी का अध्यक्ष संबंधित डीएम/डीसी होता है । जेडएसबी का सचिव जिला सैनिक कल्याण अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति आरएसबी/ केएसबी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है । ईएसएम/बीसी (युद्ध हताहत)/निकट संबंधी का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इनके द्वारा सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है ।

2.4. आगे रक्षा मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया कि पिछले 10 सालों में जेडएसबी की संख्या 220 से बढ़कर 403 हो गयी है। यह मुख्य तौर पर उस क्षेत्र के ईएसएम और सेवारत/दिवंगत सेवा कार्मिकों के परिवारों की संख्या पर निर्भर करता है । ईएसएम और सेवारत/दिवंगत सेवा कार्मिकों के परिवारों की संख्या 7500 से अधिक होने पर संबंधित राज्य सरकार एक नया जेडएसबी स्थापित कर सकती है । यदि किसी जिले में ईएसएम की संख्या 7500 से कम हो और आसपास कोई जेडएसबी न हो, तो एक नया जेडएसबी स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है । हाल ही में दिल्ली में चार नए जेडएसबी को मंजूरी दी गई है ।

2.5. समिति यह जानना चाहती थी कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लाभार्थियों को जेडएसबी की सुविधाएं कैसे मिलती हैं। इस सम्बन्ध में समिति को यह बताया गया कि जेडएसबी द्वारा विभिन्न् तरीके अपनाकर प्रो-एक्टिव उपाय किए गए हैं ताकि सभी ईएसएम व्यक्तियों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नवीनतम सुविधाओं और कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी हो । अपनाए गए कुछ तरीकों में बुकलेटों का प्रकाशन करना, रेडियो और टी.वी. ब्राडकास्ट स्थानीय बोलियों में करना, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग करना, खास जगहों पर जहां ईएसएम ज्यादातर आते हैं वहां नोटिस बोर्ड/ होर्डिंग्स लगाना शामिल है ।जेडएसबी कार्यालयों/कल्याण कार्य आयोजनकर्ता द्वारा दूरस्थ स्थानों पर नियमित दौरों, रैलियों, बैठकों और संवाद किया जाता है जिससे विभिन्न सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन किए हुए अनेक ईएसएम और विधवायें लाभान्वित हुईं । इसके साथ विभिन्न् कल्याणकारी उपायों/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रति वर्ष आरएसबी/ जेडएसबी बैठकों का आयोजन किया जाता है । गर्वनर/मुख्यमंत्री राज्य में आरएसबी की अध्यक्षता करते हैं। पिछले 6 महीनों में राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और राज्य प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकें राजस्थान, असम मिजोरम और चंडीगढ़ (यूटी) में आयोजित की गई । ऐसी ही नियमित बैठकें जेडएसबी स्तर पर भी आयोजित की जाती हैं ।

2.6. इस विषय पर चर्चा के दौरान समिति को यह पता चला कि संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा वीर नारी /पारिवारिक सदस्यों को किये जा रहे अनुग्रह राशि के अलावा, केन्द्र/सम्बंधित सेवा द्वारा भी अनुग्रह राशि दी जाती है । देश में संघीय व्यवस्था होने के कारण अनुग्रह राशि हर राज्य में अलग है । इस सन्दर्भ में समिति को बताया गया कि शहीदों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि में एकरूपता से संबंधित मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है और कई मंचों में इस पर चर्चा भी की गई है । इस सम्बन्ध में यह भी

बताया गया कि कई राज्यों ने हाल ही में अपनी अनुग्रह राशि बढ़ाई है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने राशि बढ़ाकर 20 लाख रू. और ओडिशा ने राशि बढ़ाकर 10 लाख रू. कर दी ।

2.7. समिति को वीरनारी/निकट संबंधियों के कल्याण हेतु निर्दिष्ट की गई सेवाओं/स्कीमों की समयबद्ध डिलीवरी के लिए विकसित की गयी कार्यप्रणालियों के बारे में अवगत कराया गया। रक्षा मंत्रालय ने लिखित उत्तर के द्वारा बताया:

> "लाभार्थी वीरनारी/निकट संबंधियों को एएफएफडीएफ की कल्याणकारी स्कीमों के भुगतानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली क्रियान्वित की गई है। एएफडीईएफ जो नागरिकों के स्वैच्छिक योगदान और सरकार द्वारा वित्तपोषित एक कॉर्पस है, इसके द्वारा भुगतान/कल्याण अनुदान दिए जाते हैं। अद्यतन भुगतान स्टेटस नियमित आधार पर केएसबी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।"

अध्याय - III

रोजगार/पुनर्वास

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में समिति को बताया गया कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंधित सेवा मुख्यालयों द्वारा रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों की नियुक्तियां की जा रही हैं। मंत्रालय ने वीर-नारी/एनओके को दी जा रही विभिन्न छूटों आदि को दर्शाते हुए निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए थे:-

(क) "अधिकारी चयन

(i) रक्षा कार्मिक जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिवंगत हो गया हो, की विधवा शार्ट सर्विस कमीशन (नॉन टेक्नीकल) और (टेक्नीकल) के लिए आवेदन हेतु पात्र होगी। भले ही उनके बच्चे हों, वे फिर भी पात्र हैं परंतु उन्होंने केवल पुनर्विवाह न किया हो। एसएससी (तकनीकी) महिला और एसएससी (गैर-तकनीकी) महिला प्रविष्टि दोनो के लिए कुल 5% रिक्तियां अलग से रखी जाएंगी। ओटीए, चेन्नई में प्रशिक्षण शुरू होने के समय ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक है।

(ii) एसएससीडब्ल्यू (गैर-तकनीकी) जहां यूपीएससी परीक्षा लागू है, ऐसी विधवाओं के लिए यूपीएससी की परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। उनका चयन एसएसबी के माध्यम से किया जाता है।

(iii) एनसीसी के 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों के लिए प्रति पाठ्यक्रम जारी की गई निर्धारित रिक्तियों में से शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) देने के लिए युद्ध हताहत के पाल्यों (विधिक रुप से गोद लिए गए बच्चों सहित) के लिए 10% रिक्तियां उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं है सिवाय इस शर्त के कि इन रिक्तियों के लिए एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं है।

(ख) जेसीओ/ओआर की भर्ती

नीतिगत के अनुसार संबंधित रेजीमेंट/कोर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा यूएचक्यू भर्ती के माध्यम से सेना में भर्ती तत्काल की जाती है। तत्काल भर्ती से संबंधित नीति का सार निम्नानुसार हैः-

(i) घातक युद्ध हताहत/युद्ध हताहत के एक पुत्र को कम आयु होने पर बोर्डआउट किया गया अपेक्षित आयु प्राप्त कर लेने पर उसे भर्ती किया जाएगा।

(ii) जब दिवंगत अविवाहित था - युद्ध हताहत का एक सगा भाई।

(iii) जब दिवंगत की पत्नी निःसंतान हो या उसका कोई बेटा न हो - युद्ध हताहत का एक सगा भाई बशर्ते कि सगा भाई दिवंगत की विधवा से विवाह कर लेता है।

(iv) जब मृत सैनिक की विधवा का एक पुत्र होता है जो भर्ती के आयु को प्राप्त नहीं किया है - मृत सैनिक की विधवा से असली भाई की शादी हो जाती है तो युद्ध हताहत के एक असली भाई को भर्ती दी जाती है। इस मामले में पुत्र को भर्ती की आयु प्राप्त करने पर तत्काल भर्ती के लिए हकदारी नहीं मिलेगी तथापि, उनको सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को भर्ती के लिए यथा लागू छूट/रियायत मिलेगा।

(v) जब युद्ध हताहत को चिकित्सा के आधार पर सेवा में से अमान्य ठहराए गए है - भर्ती के लिए एक असली पुत्र को आयु प्राप्त करने की आवश्यकता है।"

3.2. राज्य या केन्द्र सरकार की सेवाओं में विशेष रूप से वीर नारी या उनके बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी नीति के संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना प्रदान की थी:-

"केन्द्र और राज्य सरकार - केन्द्र/राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिक सिविल जॉब में सेवा के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई छूट प्रदान की है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(क) सरकारी विभागों, पीएसयू राष्ट्रीयकृत बैंकों और पैरा मिलिटरी बलों में निम्नानुसार आरक्षण दिया जाता है:-

		ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
(i)	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग	10%	20%
(ii)	सीपीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंक	14.5%	24.5%

(iii) केन्द्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'ग' और 'घ' में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता दी जाती है।

(iv) विकलांग भूतपूर्व सैनिक जिनकी विकलांगता सैन्य सेवाओं के कारण है, को प्राथमिकता दी जाती है-।

(v) सेवा के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से विकलांग (50% और उससे अधिक विकलांगता और जो रोजगार के लिए अस्वस्थ है लेकिन विकलांगता सैन्य सेवा के कारण है) को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें मृत सैनिक की विधवा भी शामिल है।

(vi) अधिकांश राज्य सरकारें भी राज्य सरकार/राज्य पीएसयू नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक/आश्रितों (विधवा सहित) को आरक्षण प्रदान करती है।

(ख) सीपीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंक - राष्ट्रीयकृत बैंकों और सीपीएसयू में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप 'ग' में 14.5% रिक्तियों और ग्रुप 'घ' में 24.5% रिक्तियों का आरक्षण किया जाता है इसमें विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और सेवा के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रित के लिए 4.5% आरक्षण शामिल है।

(ग) सेवा के समय (मृत्यु सैन्य सेवा के कारण नहीं है) मृत सशस्त्र बल कार्मिकों की विधवा/पुत्र/पुत्री भी ग्रुप 'ग' अथवा ग्रुप 'घ' पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है।

3.3. समिति ने यह भी पाया कि रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/परिवारों को अनुकंपा आधार पर निम्नलिखित संख्या में नियुक्तियां दी गई हैः

"वायु सेनाः	30 (2016 तक)
नौसेनाः	35 (2014 तक)
थल सेनाः	अपोक्षत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधित लाइन निदेशालयों द्वारा की जाती है।"

3.4. जहां तक अन्य रोजगार समाधान अवसरों का सवाल है, समिति को बताया गया कि वीर-नारी/परिवारों का पुनर्वास निम्नलिखित योजनाओं तक सीमित है:_

(क) तेल उत्पादक एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप।

(ख) विधवाओं के लिए कोल टिपर आबंटन स्कीम।

3.5. यह भी बताया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने तेल उत्पाद एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अर्थात एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 8% का कोटा आरक्षित किया है। वीर-नारी या शहीद सैनिकों के बच्चों/माता-पिता के लिए दूध बूथों/कियोस्क के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया जाता।

3.6. समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या मंत्रालय ने वीर-नारी/एनओके के कौशल विकास के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की है। इस संबंध में, यह बताया गया था कि पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), जो कि रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत) का एक संबद्ध कार्यालय है, को सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन का कार्य सौंपा गया है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक महीने से नौ महीने तक है, ये पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रबंधन, सुरक्षा, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, योग और फिटनेस और आईटी क्षेत्र आदि जैसे विविध क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम सरकारी नियामक निकायों/ संस्थानों द्वारा संचालित केंद्र/राज्य सरकार संस्थाओं/संस्थान में आयोजित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विधवाओं/एक वार्ड के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं (यदि विधवा पाठ्यक्रम करने से इनकार करती है)।

अध्याय - IV

चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं

चिकित्सा सुविधाएं

समिति को यह जानकारी है कि ईसीएचएस भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है। युद्ध विधवाओं को ईसीएचएस की सदस्यता के लिए एक बार अंशदान राशि का भुगतान करने से छूट दी गई है और वे ईसीएचएस के माध्यम से अपने पात्र आश्रितों के साथ कैशलेस और कैपलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4.2. समिति ने यह जानकार चिंता व्यक्त की थी कि वीर-नारी/एनओके को पॉलीक्लिनिक में कैसे उचित सम्मान और चिकत्सा सुविधा प्रदान की जाती है। यह जानकारी दी गई कि ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक में वीर-नारी को उचित सम्मान और चिकत्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारियों (एसईएमओ) को लगातार सलाह दी जा रही है कि वे इष्टतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के लिए दवाओं की समय पर खरीद सुनिश्चित करें। फॉरमेशन मुख्यालय से यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबंधित चिकित्सा शाखाओं के माध्यम से खरीद प्रक्रिया की निगरानी करें।

4.3. निजी अस्पतालों में उपचार के संबंध में समिति को पता चला कि वीर-नारी और पात्र आश्रितों को ईसीएचएस लाभार्थियों के रूप में सिविल पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार है।

शैक्षिक सुविधाएं

4.4. समिति ने वीर-नारी के बच्चों और शहीद सैनिक के बच्चों को दिए जाने वाले लाभों, यानी ट्यूशन फीस में छूट, टेक्निकल या प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन आदि का ब्योरा मांगा। समिति को दिए गए ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वित्तीय ग्रांट/योजना	राशि
(क)	युद्ध में लापता/अशक्त/शहीद सशस्त्र सेना अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के बच्चों को शैक्षिक रियायत (01.07.2017 से)	ट्यूशन फीस और बस/वास्तविक भाड़े की पूर्ण प्रतिपूर्ति । बोर्डिंग स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए छात्रावास शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति । किताबों/लेखन सामग्री: प्रतिवर्ष 2000/- रु. तक वर्दी लागत जहां अनिवार्य हो : प्रतिवर्ष 2000/- रु. तक कपड़े: प्रतिवर्ष प्रति छात्र 700/- रु. तक
(ख)	<u>विधवाओं के लिए उच्च शिक्षा:-</u> 1. स्नातक 2. स्नातकोत्तर 3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	 20,000/- रु. 25,000/- रु. 50,000/- रु.
(ग)	एकबारगी कंप्यूटर अनुदान (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम/स्नातक और उसके ऊपर के बाद लागू)	35,000/- रु.

4.5 समिति विशेष रूप से यह जानना चाहती है कि क्या गुणवान वीर-नारी या शहीद सैनिकों के बच्चों को विदेश में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना है। इस संबंध में समिति को यह बताया गया है कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है ।

4.6 यह पूछे जाने पर कि क्या शहीद सैनिक की वीर-नारी या उनके बच्चों की विभिन्न मानित/निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले की सहूलियत के लिए कोई पहल की गई है, रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इंटर-से प्राथमिकता रक्षा मंत्रालय/भूतपूर्व सैनिक

कल्याण विभाग पत्र सं. 6(I)/2017/रक्षा (पुनर्वास-II) दिनांक 21 मई, 2018 के अनुसार है, जिसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता (अर्थात- प्राथमिकता-I) युद्ध में मारे गए सेवारत कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं को दी जाती है ।

4.7 समिति द्वारा शहीद सैनिक की वीर-नारी/सगे-सम्बन्धियों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस कोर्स में सीटों के आरक्षण के संबंध में विशेष रूप से पूछे जाने पर मंत्रालय ने समिति को बताया कि रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए केएसबी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार नामिती के रूप में लगभग 35 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस कोर्स में 3 सीटें आबंटित की जाती हैं । 2019 से 2022 की अवधि के दौरान युद्ध में शहीद कार्मिकों के आश्रित को आबंटित एमबीबीएस सीटों का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षिक वर्ष	**युद्ध विधवा के आश्रित को आबंटित सीटों की संख्या**
2019-20	11 एमबीबीएस सीटें
2020-21	15 एमबीबीएस सीटें
2021-22	05 एमबीबीएस सीटें

ईएसएम के बच्चों/विधवाओं के लिए राज्यों/यूटी/केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालयों /स्वायत्त संस्थानों द्वारा रक्षा मंत्रालय की निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार मेडिकल/डेंटल/व्यावसायिक/गैर व्यावसायिक कोर्सों में सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान हैं जिसमें युद्ध में शहीद कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

अध्याय - V

पेंशन

समिति को यह सूचित किया गया था कि समय पर जीवन प्रमाणपत्र न सौंपे जाने के कारण पेंशन के वितरण में कुछ विलंब हो गया है । इस संबंध में मंत्रालय ने आगे बताया कि जहां भी वार्षिक पहचान की जानी हो वही स्पर्श (एस पी ए आर एस एच)- वेब पोर्टल ने एसएमएस अलर्ट जारी करने के लिए प्रावधान बनाए हैं । इसी प्रकार, 12 महीनों के साइकिल के बाद जहां भी किसी पेंशनभोगी की पहचान शेष हो वहां डीपीडीओ भी नोटिस जारी करता है । तथापि, वर्तमान में किसी शहीद सैनिक की वीर-नारी या माता-पिता से व्यक्तिगत संपर्क करने का कोई प्रावधान नहीं है । आगे समिति ने यह भी पाया कि शहीद सैनिकों के अनाथ बच्चों अथवा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को पूरी पेंशन दी जाती है । ओआरओपी योजना वीर-नारियों पर भी लागू होती है । जहां तक दर तय करने की तंत्र प्रणाली की बात है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2006 के बाद से एक मूल सिद्धांत के रूप में आखिरी बार लिए गए वेतन का 50% पेंशन है । जबकि एलएफपी आखिरी ली गई पेंशन होगी । इस सिद्धांत के आधार पर ओआरओपी के तहत एलएफपी दरों को ओआरओपी के तहत एक विशिष्ट योग्य सेवा के लिए सेवा पेंशन को दोगुना करके निर्धारित किया गया है ।

केंद्रीय डेटा बेस

5.2 पेंशनभोगियों की कुल संख्या का जायजा लेने के लिए पीसीडीए (पी) प्रयागराज द्वारा अप्रैल के महीने में एक वार्षिक जनगणना की जाती है । यह पेंशन वितरण एजेंसियों (पीडीए) से डाटा एकत्र करके की जाती है । भुगतानों के कुछ प्रतिशत की पीसीडीए (पी) प्रयागराज द्वारा लेखापरीक्षा भी की जाती है ताकि लाभ की प्रमात्रा सत्यापित की जा सके । यह बताया गया है कि पीसीडीए (पी) प्रयागराज पेंशनभोगियों के डाटा बेस का रख-रखाव करता है । तथापि समिति को यह बताया गया है कि वे अलग से वीर-नारी का डाटाबेस नहीं रखते ।

5.3 पेंशनभोगियों की कुल संख्या का जायजा लेने के लिए पीसीडीए (पी) प्रयागराज द्वारा अप्रैल के महीने में एक वार्षिक जनगणना की जाती है । यह पेंशन वितरण एजेंसियों (पीडीए) से डाटा एकत्र करके की जाती है । भुगतानों के कुछ प्रतिशत की पीसीडीए (पी) प्रयागराज द्वारा लेखापरीक्षा भी की जाती है ताकि लाभ की प्रमात्रा सत्यापित की जा सके ।

अध्याय - VI

जागरुकता सृजन और शिकायत निवारण

समिति को इस बात से अवगत है कि युद्ध विधवाओं के संबंध में शैक्षिक, चिकित्सीय या अन्य कोई भी सेवा से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली को जेडएसबी/आरएसबी और केएसबी स्तर पर अपनाया गया है । जेडएसबी को केन्द्रीयकृत सार्वजानिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) वर्जन 7.0 में शामिल किया जा रहा है। युद्ध विधवाओं की शिकायतों को विभिन्न स्तरों अर्थात केएसबी,जेडएसबी,आरएसबी पर लिया जाता है और उनमें से कुछ को केन्द्र/राज्य के अन्य संगठनों द्वारा आगे भेजा जाता हैं । प्रयास है कि शिकायतों का शीघ्रता से निवारण किया जाए हालांकि भूमि और परिवार संबंधी विवादों में अधिक समय लगता है । सीपीग्राम में विशेष रूप से वीर नारियों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है । समिति को आगे यह बताया गया था कि संबंधित जेडएसबी/आरएसबी युद्ध विधवाओं से मिले परिवादों/शिकायतों का रिकार्ड रखता है और उनकी शिकायतों का निवारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है ।

6.2 समिति को वीर नारियों और उनके सगे-संबंधियों के लिए निर्मित कल्याण योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के संबंध में यह बताया गया है कि युद्ध विधवाओं और उनके परिवारों को मिलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों/लाभों के बारे में सूचना सभी आरएसबी/ जेडएसबी के नोटिस बोर्डों/परिसरों/कार्यालयों/कैंपस पर लगाई गई है ताकि ईएसएम समुदाय के बीच इसका व्यापक तौर पर प्रचार और जागरूकता फैल सके । उपरोक्त के बारे में सभी आरएसबी/ जेडएसबी को केएसबी सचिवालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि केएसबी द्वारा आरएसबी/ जेडएसबी के वार्षिक निरीक्षण के दौरान इस पहलू की जांच की जा सके । इसके साथ, सभी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं, प्रक्रियाएं आदि केएसबी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं ।

6.3 युद्ध विधवाओं और उनके परिवार की जरुरत/सहायता के लिए संबंधित राज्य के ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी जेडएसडब्ल्यूओ/कल्याण आयोजक नियमित तौर पर दौरा करते हैं/ उनसे संपर्क रखते हैं । इसके अतिरिक्त, सभी जेडएसडब्ल्यूओ में रिकार्ड रखे जाते हैं और उन्हें अद्यतन किया जाता है । पेंशन,लाभ और योजनाओं से जुड़ी सारी सूचना सेवा मुख्यालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर दर्शाई/डाली जाती है ।

अध्याय - VII

शहीदों और उनके परिवारों की पहचान

समिति को यह बताया गया है कि युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों/ उनके सगे-संबंधियों/ वीर नारियों के परिवारों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आमंत्रित किया जाता है। 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने के परिणामस्वरूप, स्मारक के ' त्याग चक्र' पर लिखित शहीदों को सम्मानित करने के लिए तीनों सेवाओं द्वारा हर महीने के अलग-अलग दिनों में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें युद्ध में घायल सैनिकों के निकट संबंधियों को 'त्याग चक्र' पर माला अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । इन सगे-संबंधियों को समय-समय पर सम्मानित किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित भी किया जाता है।

7.2 समिति को आगे यह भी बताया गया है कि जब भी जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए जाते हैं तब वीर नारियों/परिवारों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। इस बारे में संबंधित जेडएसबी/आरएसबी से कल्याण-कार्य-अयोजक को खासतौर पर इसके समन्वय के लिए बुलाया जाता है। युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को नई दिल्ली में हर वर्ष 14 जनवरी को होने वाले वेटरन-डे समारोह के दौरान रहने के लिए क्लास-I सुविधा प्रदान की जाती है । इसके अलावा, सभी कमान मुख्यालय और स्थानीय इकाइयां उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और समारोह में वीर नारियों और उनके निकट संबंधियों को आमंत्रित करते हैं । हर / जेडएसबी/आरएसबी के पास कार्यक्रम/समारोह आयोजित होने के दौरान वीर नारियों/परिवारों को निःशुल्क रहने का स्थान आबंटित करने के लिए और आमंत्रण पत्र भेजने तथा आमंत्रित करने का प्रावधान करने के लिए अपने स्थायी आदेश हैं । इसके साथ, इन दौरों के दौरान उनके लिए गर्म खाने की भी व्यवस्था की जाती है ।

भाग - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

संरचनात्मक सुधार

1. समिति नोट करती है कि वर्तमान में वीर-नारी और निकटतम परिजनों (एनओके) के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं/सेवाएं भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और इसके संबद्ध कार्यालयों जैसे केंद्रीय सैनिक बोर्ड, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन और ईसीएचएस द्वारा चलाई जाती हैं और उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याणकारी उपायों का ध्यान रखने और हस्तक्षेप करने के लिए मंत्रालय में कोई अनन्य रूप से समर्पित विभाग/कार्यालय या नामित अधिकारी नहीं है। समिति की राय है कि रक्षा मंत्रालय के भीतर एक पृथक विभाग, जो विशेष रूप से वीर नारियों/एनओके के कल्याण के लिए जिम्मेदार होगा, बनाया जाए ताकि उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों की अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए गहन जांच की जा सके। इस तरह की व्यवस्था वीर-नारी और एनओके को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।

डाटाबेस का अनुरक्षण

2. समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय, डीईएसडब्ल्यू, विभिन्न सेवा मुख्यालयों और इससे संबद्ध कार्यालयों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वीर-नारियों और

निकटतम परिजनों (एनओके) की संख्या और उन्हें दी गई अनुदान राशि पर सांख्यिकीय आंकड़ों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है। हालांकि, समिति ने पाया कि रक्षा मंत्रालय के पास वीर-नारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग डाटा उपलब्ध नहीं था, हालांकि, देश में वीर-नारियों की कुल 15021 संख्या दर्शाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। समिति का मत है कि लाभार्थियों की संख्या का सटीक अनुमान और डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने से योजनाओं के उचित कार्यान्वयन और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य अनुदान/लाभ के लिए पात्र नहीं रहता है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि वीर-नारी और एनओके का राज्य-वार व्यापक डाटा रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सरकारी संगठन में उपलब्ध प्रौद्योगिकी/उपकरणों का उपयोग बिना किसी विसंगति के डाटा रखने और अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है।

<u>अनुग्रह निधि</u>

3. समिति को मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि जिन परिस्थितियों में सैनिक की मृत्यु होती है, वह उनके परिवार के सदस्यों को मिलने वाले लाभों के अंतर को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेना कर्मियों के परिवारों को पेंशन प्रदान करने के लिए, सशस्त्र सेना कर्मियों की मृत्यु की परिस्थितियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से, श्रेणी बी और सी में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित सैन्य सेवा के कारण एट्रीब्यूटेबल या

एग्रावेटेड के रूप में स्वीकार्य कारणों से हुई मृत्यु या विकलांगता शामिल है। इसमें कर्तव्य निर्वहन के दौरान विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। श्रेणी बी और सी के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र सेना कर्मियों की मृत्यु के ऐसे मामलों में, मृतक कर्मियों के परिवार के पात्र सदस्य को विशेष पारिवारिक पेंशन, जो गणना योग्य परिलब्धियों की 60 प्रतिशत होती है, दी जाती है। ऊपर वर्णित विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति इस तथ्य से अवगत है कि श्रेणी बी और सी के तहत मृत्यु उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि, समिति पाती है कि चूंकि मृत्यु या विकलांगता रक्षा कर्मियों की कठिन कार्य परिस्थितियों के कारण होती है, इसलिए समिति सिफारिश करती हैं कि विद्यमान पारिवारिक पेंशन जो गणना योग्य परिलब्धियों का 60 प्रतिशत है को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण को प्रस्तुत करते समय की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. समिति नोट करती है कि शहीद सैनिक के परिवार के पात्र सदस्य को उक्त सैनिक की मृत्यु होने पर एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। समिति को रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि यह राशि सैनिक की मृत्यु की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग है। कर्तव्यों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं या आतंकवादी, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और सीमा पर झड़पों और आतंकवादियों, उग्रवादियों, चरमपंथियों, जल दस्युओं आदि के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत के मामले में 35 लाख रुपये का

मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, युद्ध में दुश्मन के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु के मामले में 45 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। समिति की सुविचारित राय है कि यद्यपि सैनिक के जीवन के मोल का मूल्यांकन मौद्रिक संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, फिर भी वित्तीय अनुदान सैनिक के परिवार के सदस्यों को उचित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा, यह युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती शामिल होने के लिए एक प्रोत्साहन और प्रेरणा के रूप में भी कार्य करता है। इस अवधारणा के मद्देनजर और मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई दर पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार को उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी की अनुग्रह राशि में 10 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम राशि 35 लाख रुपये और अधिकतम 55 लाख रुपये होगी।

<u>राज्यों में अनुग्रह राशि में एकरूपता</u>

5. समिति नोट करती है कि केंद्रीय/विशिष्ट सेवा द्वारा निकटतम परिजनों/परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा भी शहीदों के परिवार के सदस्यों को उक्त राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि विभिन्न राज्यों द्वारा वीर-नारी/एनओके को दिए जाने वाली अनुग्रह राशि में व्यापक अंतर होता है जिससे शहीदों के लाभार्थियों के बीच असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं। उदाहरण के

लिए, हिमाचल प्रदेश में अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है और ओडिशा ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में, समिति को अवगत कराया गया कि देश में एक संघीय ढांचा होने के कारण यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। चूंकि एक सैनिक राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देता है, समिति चाहती है कि राज्य सरकारों द्वारा भी अनुग्रह राशि के भुगतान में जहां तक संभव हो सके एकरूपता लाई जानी चाहिए और संघीय ढांचे का तर्क बाधा नहीं बनना चाहिए। समिति इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि शहीदों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान में एकरूपता के मुद्दे को समिति की कई बैठकों में उठाया गया और चर्चा की गई लेकिन इसका कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए, समिति स्पष्ट शब्दों में यह सिफारिश करती है कि शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि प्रदान करने में अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने हेतु आवश्यक उपाय शुरू किए जाने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

<u>राज्य/जिला स्तर पर कल्याणकारी उपाय करना</u>

6. समिति नोट करती है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड का नेतृत्व माननीय रक्षा मंत्री करते हैं और इसमें मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं, यह एक उच्च स्तरीय बोर्ड है जिसे विशेष रूप से ईएसएम/आश्रितों के मुद्दों के समाधान के लिए बनाया गया है। वर्तमान में ईएसएम/आश्रितों के कल्याण के लिए 33 राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और 403 जिला सैनिक बोर्ड

(जेडएसबी) हैं। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि गत 10 वर्षों के दौरान जेडएसबी की संख्या 220 से बढ़कर 403 हो गई है। यह मुख्यत: उस क्षेत्र में ईएसएम और सेवारत/मृतक सेवा कर्मियों के परिवारों की संख्या पर आधारित थी। समिति को अवगत कराया गया कि यदि ईएसएम और सेवारत/मृतक सेवा कर्मियों के परिवारों की संख्या 7500 से अधिक है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वयं एक नया जेडएसबी स्थापित किया जा सकता है। समिति की सुविचारित राय है कि एनओके और वीर-नारियों के कल्याण में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और इसे राज्य मशीनरी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए सभी केंद्रीय बोर्डों की बैठकें नियमित अंतराल और नियमित समय पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि राज्य/जिला बोर्डों के कार्यकरण की प्रभावी निगरानी हो सके।

7. समिति का मानना है कि जेडएसबी की स्थापना के अतिरिक्त, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जेडएसबी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लाभार्थियों के लिए सुलभ हो। विशेष रूप से वीर नारी और निकटतम परिजनों (एनओके) के संबंध में, क्योंकि उनका ब्यौरा उपलब्ध होता है, आरएसबी/जेडएसबी को उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इन बोर्डों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि क्षेत्र में उनके कार्य की जानकारी सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न योजनाओं का लाभ व्यक्तिगत रूप से वीर नारी/एनओके को दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उन्हें उनके लिए उपलब्ध योजनाओं से अवगत कराया जाए।

रोजगार/पुनर्वास

8. समिति ने नोट किया कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंधित सेवा मुख्यालयों द्वारा रक्षा कर्मियों की विधवाओं/परिवारों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत रक्षा कर्मियों, जो कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, की विधवाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनिकी) और (तकनीकी) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होती हैं। भले ही उनके बच्चे हों, वे तब भी पात्र होती हैं यदि उन्होंने दोबारा शादी न की हो। एसएससी (तकनीकी) महिला और एसएससी (गैर-तकनीकी) महिला प्रवेश दोनों हेतु विधवाओं के लिए कुल 5 प्रतिशत रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। समिति चाहती है कि रोजगार के लिए पात्र होने हेतु वीर-नारी के अविवाहित होने के मानदंड पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति के ध्यान में लाया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के कुछ मामलों में, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब का सामना करना पड़ता है। निस्संदेह, कुछ मामलों में, विधवाएं रिक्तियों की घोषणा की प्रतीक्षा करते करते अपनी आयु-सीमा को पार कर जाती हैं। समिति सिफारिश करती है कि एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम योग्य और इच्छुक वीर-नारी या एनओके को या तो रोजगार दिया जाए या कम से कम समय में पुनर्वास का विकल्प दिया जाए।

9. वीर-नारी/एनओके के पुनर्वास के मुद्दे पर, समिति को सूचित किया गया कि वीर-नारी/एनओके को विभिन्न छूट दी जा रही हैं, ऐसा ही एक उपाय युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक बच्चों (कानूनी रूप से दत्तकों सहित पुत्रों और पुत्रियों) को शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान करने हेतु प्रति कोर्स जारी निर्धारित रिक्तियों में से दस प्रतिशत रिक्तियां उपलब्ध कराना है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वीर-नारी/एनओके के लिए आरक्षित रिक्तियों का अलग पूल होने के बजाय पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं है, सिवाय इसके कि इन रिक्तियों के लिए एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र होने की शर्त अनिवार्य नहीं है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सामान्य कोटे में से कुछ निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से शहीद सैनिकों के बच्चों हेतु आरक्षित किया जाए।

10. जेसीओ/अन्य रैंक के रूप में नामांकन के संबंध में, समिति को बताया गया कि नीति के अनुसार संबंधित रेजिमेंट/कोर प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा यूनिट हेड क्वार्टर नामांकन के माध्यम से सेना में तत्काल नामांकन किया जाता है। समिति के समक्ष प्रस्तुत 'तत्काल नामांकन' संबंधी नीति के अंश को देखने पर, समिति ने पाया कि उक्त उद्देश्य के लिए युद्ध हताहत/युद्ध में घायल बोर्ड किए गए सैनिक के एक पुत्र को रोजगार देने पर विचार किया जाता है और उसकी आयु कम होने की स्थिति में उस व्यक्ति को जब वह आवश्यक आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे नामांकित किया जाता है। यदि मृतक अविवाहित हो, तो युद्ध हताहत के एक सगे भाई को रोजगार देने पर विचार किया जाता है और यदि मृतक की विधवा निःसंतान है या उसके कोई लड़का नहीं है या उसका लड़का अल्प आयु है,

तो युद्ध हताहत के एक सगे भाई, बशर्ते उसने मृतक की विधवा से विवाह कर लिया हो, का सेवा के लिए विचार किया जाता है। समिति महसूस करती है कि रोजगार हेतु पात्रता मानदंड या नीति पर लंबे समय से पुनर्विचार नहीं किया गया है क्योंकि पात्रता मानदंड केवल लड़कों के लिए तय किए गए हैं। इसलिए, समिति सिफिरिश करती है कि लैंगिक समानता की दृष्टि से नीतियों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और तत्काल रोजगार के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा करने के पश्चात सगी बहन और लड़की को भी सेवा के लिए पात्र/हकदार बनाया जाना चाहिए।

11. वीर-नारी/परिवारों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में, समिति ने पाया कि वर्तमान में वायु सेना में 30 कर्मियों (2016 से) और नौसेना में 35 कर्मियों (2014 से) को रोजगार दिया गया है। आश्चर्य की बात है कि थल सेना, जो सभी सेनाओं का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ने अपेक्षित डाटा नहीं रखा है, और इसे निदेशालय द्वारा रखा जाता है। समिति चाहती है कि एनओके या वीर-नारी परिवारों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में डाटा थल सेना द्वारा उचित रूप से रखा जाना चाहिए और इस संबंध में समिति को अवगत कराया जाना चाहिए। समिति ने वायु सेना और नौसेना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की संख्या पर ध्यान दिया है और इसे अपेक्षा से कम पाया। हालांकि, एक व्यापक विश्लेषण केवल तभी किया जा सकता है जब देश में उपलब्ध एनओके की कुल संख्या के साथ-साथ थल सेना से संबंधित डाटा समिति को प्रस्तुत किया जाए।

12. अन्य पुनर्वास संभावनाओं के संबंध में, समिति नोट करती है कि वीर-नारी/परिवारों का पुनर्वास तेल उत्पाद एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और विधवाओं के लिए कोयला टिपर आवंटन योजनाओं तक सीमित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने तेल उत्पाद एजेंसी अर्थात एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेल आउटलेट्स (पी/डी) की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 8 प्रतिशत का कोटा आरक्षित किया है। समिति चाहती है कि कुल आवंटन की तुलना में वीर-नारी और एनओके के लिए किए गए आवंटनों की कुल संख्या की जानकारी समिति को की-गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय प्रदान की जाए। समिति चाहती है कि तेल उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 8 प्रतिशत आरक्षण का अक्षरश: पालन किया जाए।

13. समिति नोट करती है कि वर्तमान में शहीद सैनिकों की वीर-नारी या पात्र परिवार के सदस्यों के लिए दूध बूथ/कियोस्क आदि के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को संबंधित मंत्रालय/एजेंसी के समक्ष दूध बूथों और अन्य कियोस्क के आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मुद्दा उठाना चाहिए, जो निश्चित रूप से वीर-नारी या एनओके हेतु अन्य केंद्रों की तुलना में आजीविका के साधन के रूप में संचालित करना आसान होता है।

14. वीर-नारी/एनओके में कौशल विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में, समिति को सूचित किया गया कि डीजीआर, रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत) के एक संबद्ध कार्यालय को सशस्त्र

सेनाओं से सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने का काम सौंपा गया है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक महीने से नौ महीने के बीच होती है और इन्हें प्रबंधन, सुरक्षा, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, योग और फिटनेस और आईटी क्षेत्र आदि जैसे विविध क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में विधवाओं/एक बच्चे (यदि विधवा कोर्स करने से मना कर देती है) के लिए तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि सीटों के आरक्षण को तीन प्रतिशत तक सीमित करने के बजाय, ये प्रशिक्षण/कौशल कोर्स सभी इच्छुक वीर-नारी और पात्र निकटतम परिजनों (एनओके) को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, बशर्ते वे इसके लिए बुनियादी पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

<u>चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं</u>

15. समिति नोट करती है कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि वीर-नारी को ईसीएचएस सदस्यता के लिए राशि के एकमुश्त अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है और वे ईसीएचएस के माध्यम से अपने पात्र आश्रितों सहित नकदरहित और सीमारहित चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यह भी सूचित किया गया है कि वीर-नारी और पात्र आश्रित भी ईसीएचएस लाभार्थियों के रूप में सिविल पैनल में शामिल स्वास्थ्य देख-भाल संगठनों की चिकित्सा

सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं। समिति ने देखा है कि कभी-कभी पैनल में शामिल अस्पतालों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं और कभी-कभी वे वीर-नारी/एनओके के निवास स्थान के आस-पास स्थित न होकर बहुत दूर होते है। चूंकि शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, इसलिए समिति का मानना है कि सरकार को देश भर के ईसीएचएस पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को वीर-नारी और पात्र एनओके को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए परामर्श जारी करना चाहिए।

16. समिति ने नोट किया है कि वर्तमान में कॉलेजों में पढ़ने वाले वीर-नारियों के बच्चों को कपड़ों के लिए वर्ष 700 रुपये प्रति छात्र दिए जा रहे हैं जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में बहुत कम है। इसलिए वे सिफारिश करते हैं कि इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, विभिन्न कॉलेजों में प्रचलित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क की तुलना में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 50000 रुपये की राशि भी बहुत कम है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को उठाना चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान में डिग्री की पढ़ाई के बाद छात्रों को 35,000 रुपये का कंप्यूटर अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि इसे 10 वीं कक्षा के स्तर पर ही प्रदान किया जाना चाहिए।

17. इस विषय की जाँच के दौरान, समिति मेधावी वीर-नारी और पात्र एनओके को विदेशी शिक्षा प्रदान करने संबंधी योजना/नीति के बारे में जानना चाहती थी। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। समिति सिफारिश करती है कि मेधावी छात्रों की छिपी प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए सरकार को शहीद सैनिकों के मेधावी और पात्र एनओके की विदेश में शिक्षा के लिए वित्तपोषण और सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना/नीति तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

18. विभिन्न डीम्ड/निजी विश्वविद्यालयों में वीर-नारी अथवा शहीद सैनिकों के बच्चों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए किए पहलों के संबंध में, समिति को सूचित किया गया था कि कार्रवाई (एक्सन) में मारे गए सेवारत कार्मियों के बच्चों/विधवाओं को विभिन्न शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक/गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पारस्परिक प्राथमिकता दी जाती है। समिति ने मंत्रालय के इस प्रयास पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि जब भी कार्रवाई में मारे गए कर्मियों के बच्चों/पति-पत्नी के दाखिला का मामला रक्षा मंत्रालय के संज्ञान में आता है, तो शैक्षिक संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में, निजी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि में प्रवेश

प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाएं।

19. समिति ने यह भी नोट किया है कि रक्षा मंत्रालय द्‌वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /केन्द्रीय विश्वविद्‌यालयों/स्वायत्त संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए चिकित्सा/दंत चिकित्सा/पाठ्‌यक्रमों में सीटों के आरक्षण के प्रावधान हैं जिसमें शहीद हुए कार्मियों के बच्चों/विधवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वीर नारी/एनओके के लिए विभिन्न विश्वविद्‌यालयों के एमबीबीएस पाठ्‌यक्रम में सीटों के आरक्षण के संबंध में मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्‌वारा केएसबी को भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस की कुल 35 सीटें और बीडीएस में 3 सीटें आबंटित की जाती हैं। यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान युद्‌ध विधवाओं के आश्रितों को क्रमशः 11, 15 और 05 एमबीबीएस सीटें आवंटित की गई थीं। समिति वर्ष 2021-22 में युद्‌ध विधवाओं के बच्चों के लिए आवंटित एमबीबीएस सीटों की संख्या में हुई कमी के कारणों को जानना चाहेगी। चूंकि सरकार द्‌वारा देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि वीर-नारी/एनओके के लिए निर्धारित सीटों की संख्या को भी तदनुसार बढ़ाई जानी चाहिए।

पेंशन

20. समिति पाती है कि समय पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पेंशन भुगतान में देरी हुई। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा है कि स्पर्श-वेब पोर्टल के अंतर्गत जिनका वार्षिक पहचान लंबित है, उनको एसएमएस अलर्ट जारी करने का प्रावधान है। तथापि, समिति यह पाती है कि वर्तमान में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुती हेतु वीर-नारी/एनओके से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की कोई प्रथा नहीं है। इसके अतिरिक्त, समिति ने नोट किया है कि यद्यपि पीसीडीए (पी) प्रयागराज पेंशनभोगियों का डाटा बेस रखता है, मगर वे वीर-नारियों का अलग से कोई डाटा बेस नहीं रखते है। समिति सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों में जहां वीर नारियाँ/एनओके अपना जीवन प्रमाण पत्र स्वत: प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो इसे जमा करवाने में सहयोग देने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाना चाहिए। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी की सहायता मांगी जा सकती है। वे यह भी सिफारिश करते हैं कि विभाग द्वारा वीर-नारियों और एनओके का डाटा बेस रखा जाना चाहिए।

जागरूकता फैलाना और शिकायत निवारण

21. समिति को बताया गया कि वीर-नारी या एनओके से संबंधित शैक्षिक, चिकित्सा या किसी अन्य सेवाओं के संदर्भ में शिकायत निवारण तंत्र जेडएसबी/आरएसबी और केएसबी स्तर पर स्थापित किया गया है। जेडएसबी को

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के 7.0 संस्करण में भी शामिल किया जा रहा है जो नागरिकों को उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है। समिति को मंत्रालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि वे जल्द से जल्द शिकायतों को हल करने का प्रयास करते हैं, हालांकि भूमि और अन्य पारिवारिक विवादों के निपटारे में अधिक समय लगता है। यह भी सूचित किया गया है कि संबंधित जेडएसबी/आरएसबी वीर-नारी अथवा एनओके से प्राप्त शिकायतों/शिकायतों का रिकार्ड रखता है। तथापि, इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने बताया है कि विशेषरूप से युद्ध विधवाओं के लिए रिकार्ड नहीं रखा जाता है। समिति इस प्रश्न के लिए दो विरोधाभासी उत्तरों को पाकर आश्चर्यचकित हुई। इन ब्यौरों पर आगे गहराई में न जाकर, समिति इस स्थिति में केवल यह सिफारिश कर सकती है कि वीर नारियों और एनओके के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय स्तर की उचित निगरानी में जेडएसबी/आरएसबी और केएसबी स्तरों पर रखे जाने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय वीर नारी/एनओके के लिए एक अलग टैब/विंडो जोड़कर मौजूदा सीपीजीआरएएमएस 7.0 संस्करण को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

<u>**शहीदों और उनके परिवारों को सम्मान**</u>

22. इस विषय की जांच के दौरान समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि वीर-नारी/एनओके के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं/नीतियों के बारे में लाभाथयों के बीच जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। इस संबंध में, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि ईएसएम समुदाय के बीच व्यापक प्रचार और जागरूकता को फैलाने के लिए सभी आरएसबी/जेडएसबी के सूचना पट्टो/परिसरों/ कार्यालयों/ कैंपस में यूद्ध विधवाओं और उनके परिवारों संबंधी सभी कल्याण योजनाओं/नीतियों/ लाभों को प्रदर्शित किया जाता है। केएसबी सचिवालय द्वारा सभी आरएसबी/जेडएसबी को केएसबी द्वारा सभी आरएसबी/जेडएसबी के वार्षिक निरीक्षण के दौरान इस पहलू को ध्यान में रखने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सभी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं, प्रक्रियाएं आदि भी केएसबी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समिति को सूचित किया गया है कि संबंधित राज्य के जेडएसडब्ल्यूओ/कल्याण आयोजक नियमित रूप से उनकी आवश्यक सहायता के लिए वीर-नारी और उनके परिवारों से मिलते हैं। उनसे संपर्क करते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव और अद्यतन किया जाता है और पेंशन, लाभों और योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी सेवा मुख्यालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। मौजूदा तंत्र पर ध्यान देते हुए, समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि जेडएसडब्ल्यूओ/कल्याण आयोजक को सभी वीर-नारी/एनओके को इष्टतम सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को यह

भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के शोषण/कदाचार जो सामने आते हैं, को निर्धारित नियमों/कानूनों के तहत दृढ़ता से निपटाया जाना चाहिए, और दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली;
<u>13 दिसम्बर, 2022</u>
22 अग्रहायण,1944(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

युद्ध हताहतों के निकट संबंधियों की हकदारी-		
क्रम सं.	**आर्थिक अनुदान/योजना**	**धनराशि**
(क)	अनुग्रही(केन्द्रीय)	25.00 लाख रु.से 45.00 लाख रु. तक
(ख)	सेना समूह बीमा (एजीआई) लाभ	1.00 करोड़ रु. (अधिकारी) 50.00 लाख रु. (जेसीओ/ओआर)
(ग)	एजीआई परिपक्वता	चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचयित अंशदान के अनुसार
(घ)	पेंशन	अंतिम आरई (मूल वेतन+एमएसपी) के उदारीकृत/विशेष परिवार पेंशन 100%/60%
(ङ)	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (डीसीआरजी)	सेवाकाल और मृत व्यक्ति द्वारा अंत में आहरण किए गए परिलब्धियों के आधार पर
(च)	लेखों का अंतिम निपटान(एफएसए) (छुट्टी नकदीकरण एवं रक्षा सेना अधिकारी भविष्य (डीएसओपी)/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि (एएफपीपी) सहित)	यथा लागू । चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचयित अंशदान के अनुसार
(छ)	सैनिक पत्नी कल्याण संगठन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) अनुदान	30,000 रु. दिवंगत सैनिकों के निकट संबंधियों के लिए अतिरिक्त अनुग्रही अनुदान
(ज)	सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण निधि (एएफबीसीडब्ल्यूएफ)	8.00 लाख रु. दिवंगत सैनिकों के निकट संबंधियों के लिए अतिरिक्त अनुग्रही अनुदान
(झ)	अनुग्रही (राज्य सरकार अधिवास)	यथा लागू ।
(ञ)	मृत्यु लिंक बीमा योजना डीएलआईएस (जेसीओ/ओआर)	60,000 रु.

(ट)	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (रक्षा वेतन पैकेज खाता) प्रमुख सार्वजनिक/निजी क्षेत्र बैंकों द्वारा।	50.00 लाख रु.
	कुल हकदारी (लगभग)	**1.8 करोड़ रु. (अधिकारी) और 1.3 करोड़ रु. (जेसीओ/ओआर)**

<u>**अन्य हित/रियायत**</u>		
क्रम सं.	**आर्थिक अनुदान/योजना**	**धनराशि**
(क)	कार्य के समय लापता/अशक्त/मृत (01.07.2017 से) सशस्त्र सेना अफसरों/जेसीओ/ओआर के बच्चों के शिक्षा में छूट	टयूशन फीस और बस/वास्तविक भाड़े की पूर्ण प्रतिपूर्ति बोर्डिंग स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए छात्रावास शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति । किताबों/लेखन सामग्री: प्रतिवर्ष 2000/- रु. तक वर्दी लागत जहां अनिवार्य हो : प्रतिवर्ष 2000/- रु. तक कपड़े: प्रतिवर्ष 700/- रु. तक
(ख)	<u>विधवाओं के लिए उच्च शिक्षा:-</u> (क) स्नातक (ख) स्नातकोतर (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम	 20,000/- रु. 25,000/- रु. 50,000/- रु.
(ग)	एक बारगी कंप्यूटर अनुदान (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम/स्नातक और उससे ऊपर के बाद लागू)	35,000/- रु.

(घ)	आश्रितों/निकट संबंधियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	ईसीएचएस (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) युद्ध विधवाओं/युद्ध में विकलांग रक्षा कार्मिकों और उनके निकट संबंधियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। युद्ध विधवाओं को सदस्यता फीस देने की आवश्यकता नहीं है ।
(ड.)	विवाह अनुदान	पुत्रियों के विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह और युद्ध हताहतों (घातक), शारीरिक विकलांगता (घातक) के अनाथ पुत्रों के विवाह के लिए 1,00,000 रु. का अनुदान दिया जाता है ।
(च)	व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान	विधवाओं (पेंशनभोगी/गैर पेंशनभोगी हवलदार के रैंक तक) के लिए 20,000 रु. (एकबारगी)
(छ)	रेल यात्रा रियायत	रेल मंत्रालय शहीदों की विधवाओं को टिकटों पर रियायत (75% तक) और चक्र पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं के लिए पूरक कार्ड पास प्रदान करता है।
(ज)	टेलीफोन रियायत	दूर संचार विभाग चक्र पुरस्कार विजेताओं और युद्ध विधवाओं के लिए किराया प्रभारों में क्रमशः पूर्ण एवं 50% रियायत प्रदान करता है।
(झ)	सरकारी आवास प्रतिधारण	कार्मिक के मृत्यु के बाद से 2 वर्ष के लिए सरकारी विवाहित आवास का प्रतिधारण डेढ़ साल के लिए सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ बढ़ाया है।
(ञ)	रक्षा आवास योजनाओं में आरक्षण/प्राथमिकता	युद्ध हताहतों/घातक आकस्मिकताओं की विधवा/माता पिता के लिए सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) और वायु सेना, नौसेना आवास बोर्ड (एएफएनएचबी) की रिहायशी इकाइयों में आरक्षण (3% तक)।

(ट)	नौकरियों में आरक्षण	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहले से मौजूद अशक्त भूतपूर्व सैनिक/सेवा के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए 4.5% आरक्षण।
(ठ)	पुनर्वास योजनाएं	पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा युद्ध विधवाओं/आश्रितों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों का आबंटन जैसे कई योजनाएं हैं।
(ड)	व्यावसायिक/उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्राथमिकता/आरक्षण	केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के पास भूतपूर्व सैनिक के बच्चों के लिए उच्च संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सेवा के दौरान मारे गए/अशक्त हुए कार्मिकों के बच्चे/विधवाओं को प्राथमिकता क्रमशः I और II (उच्च श्रेणी) में रखा जाता है। मेडिकल/डेन्टल कालेजों के लिए प्रवेश में भूतपूर्व सैनिक के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोटा के अंतर्गत केएसबी द्वारा नामित उम्मीदवार के रूप में लगभग 38 सीटों का आरक्षण किया जाता है।

*****

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 27 मई 2022 को 1430 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष - डी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. डॉ. रामशंकर कठेरिया
6. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
7. श्री जुगल किशोर शर्मा
8. श्री बृजेन्द्र सिंह
9. श्री दुर्गा दास उइके

राज्य सभा

10. डॉ. अशोक बाजपेयी
11. श्री प्रेम चंद गुप्ता
12. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
13. श्री के. सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
2. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

क्र सं	नाम	पदनाम
1.	श्री बी आनंद	सचिव, ईएसडब्ल्यू
2.	डॉ. पुडि हरी प्रसाद	जेएस (ईएसडब्ल्यू)
3.	श्री संजय कुमार	एडिशनल एफए एण्ड जेएस
4.	डॉ. पीपी शर्मा	ओएसडी
5.	ले. जनरल सी बंसी पोनप्पा	एवीएसएम, वीएसएम, एजी सेना मुख्यालय
6.	ले. जनरल पीएस शेखावत	एसएम, डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू)
7.	एयर मार्शल के अनंतरमन	वीएसएम, एओए, वायुसेना मुख्यालय
8.	एयर मार्शल आरके आनंद	डीजी (प्रशासन)
9.	वाइस एडमिरल सूरज बेरी	कंट्रोलर पर्सनेल सर्विसेज
10.	एयर वाइस मार्शल अशोक सैनी	एसीएएस (अकाउंट्स एंड एअर वेटेरन्स)
11.	मेजर जनरल एन आर इंदुरकर	एसएम, एमडी ईसीएचएस
12.	मेजर जनरल शरद कपूर	डीजी (रीसेटलमेंट)
13.	कमोडोर एच पी सिंह	सचिव, केएसबी
14.	कमोडोर पंकज शर्मा	सीएमडी, ईएसएम अफेयर्स
15.	श्री रजनीश कुमार	सीजीडीए
16.	श्री प्रवीण कुमार	अपर सीजीडीए
17.	डॉ. जयराज नाईक	ज्वाइंट सीजीडीए

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने 'सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय पर आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् सभापति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा उनका ध्यान समिति की बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) और 58 की ओर आकृष्ट कराया।

3. साक्षियों नें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समिति को उक्त विषय पर संक्षिप्त विवरण दिया। तत्पश्चात् सभापति एवं समिति के सदस्यों ने बहुत से मुद्दे/प्रश्न उठाए जो निम्नवत हैं तथा रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से उनके बारे में स्पष्टीकरण/जानकारी मांगी:

एक. शहीदों की विधवाओं/ वीर नारी एवं उनके बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं जिसमें विदेशों में पढ़ाई, एमबीबीएस एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला इत्यादि शामिल है;

दो. वीर-नारी, उनके बच्चों और शहीद सैनिकों के माता-पिता के लिए पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों, मिल्क बूथ आदि जैसी पुनर्वास सुविधाओं का आवंटन;

तीन. अनुकम्पा के आधार पर सेवाओं में अनुग्रह नियुक्ति;

चार. वीर-नारी और उनके बच्चों के नियोजन हेतु उन्हें रिक्तियों में आरक्षण देना और योग्यता मानदंडों में छूट देना;

पाँच. अनुग्रह लाभ और रोजगार के अवसरों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश करना;

छह. वीर-नारी, उनके बच्चों और शहीद सैनिकों के माता-पिता के समक्ष ईसीएचएस की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में आ रही कठिनाइयों का निवारण करना;

सात. तकनीकी कारणों से पेंशन वितरण में विलंब का समाधान करना; और

आठ. वीर-नारी और उनके बच्चों या शहीद सैनिकों के माता-पिता के कल्याण हेतु लक्षित सुविधाओं/लाभों के लिए लाइसेंस आवंटन/जारी करने के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा कदाचार/ छिट-पुट चोरी पर अंकुश लगाना;

नौ. वीर-नारियों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में आरक्षण प्रदान करना।

4. रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि सदस्यों द्वारा उठाए उन प्रश्नों जिनके संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी, के बारे में लिखित उत्तर/जानकारी प्रस्तुत करें, जिसका प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

5. बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक सोमवार, 14 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष- सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री जुएल ओराम - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
3. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
4. श्री सुरेश कश्यप
5. श्री रतन लाल कटारिया
6. डॉ. राजश्री मल्लिक
7. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
8. श्री जुगल किशोर शर्मा
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री महाबली सिंह

<u>राज्य सभा</u>

11. डॉ. अशोक बाजपेयी
12. श्री प्रेम चंद गुप्ता
13. श्रीमती पी.टी. उषा
14. श्री जी.के. वासन
15. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
16. श्री के. सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

<u>साक्षियों की सूची</u>

<u>रक्षा मंत्रालय</u>

क्र सं	**नाम एवं पदनाम**
1.	डॉ समीर वेंकटपति कामत, सचिव, डीडीआर एंड डी एंड चेयरमेन, डीआरडीओ
2.	श्री के एस वरप्रसाद, डीएस एंड डीजी (एचआर)
3.	श्री हरी बाबू श्रीवास्तव, ओएस एंड डीजी
4.	डॉ यू के सिंह, ओएस एंड डीजी (आर एंड एम)
5.	डॉ चंद्रिका कौशिक, ओएस, बीडीजी (पीसी एंड एसआई)
6.	श्री पुरुषोत्तम बेज, ओएस एवं निदेशक
7.	श्री वेदवीर आर्य, एडिशनल एफए एंड जेएस
8.	डॉ रविंद्र सिंह, साइंटिस्ट 'जी' एवं निदेशक, डीपीएआरओ एंड एम
9.	डॉ सुमित गोस्वामी, साइंटिस्ट 'एफ' एवं निदेशक, डीपी एंड सी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची अर्थात 'सशस्त्र बलों में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना तथा 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लेना, से अवगत कराया।

3. समिति ने सबसे पहले प्रारूप प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया। कुछ विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के प्रतिवेदन को स्वीकार लिया। समिति ने सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे सुविधानुसार किसी तिथि को सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

4. ****प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।